रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा प्रधान मंत्री जी को लिखा गया पत्र 22 जुलाई, 1977 को और उन का मुझे लिखा गया अनुवर्ती पत्र 29-8-77 को प्राप्त हुआ। मैंने 12-10-1977 को स्थिति का विश्लेषण करते हुए माननीय सदस्य को उत्तर भेज दिया था।

(ख) और (ग). रींवां होकर सतना और माउ-गंज के बीच और रींवां होकर सतना से गोविन्दगढ़ तक बड़ी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में 1928-29 और 1955 में सर्वेक्षण किये गये थे। दोनों ही परियोजनाओं की सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला कि ये परियोजना लाइनें अर्थक्षम नहीं रहेंगी। जैसा माननीय सदस्य को पिछले दिनों 5-4-1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि रींवां होकर सतना से ब्यौहारी (कटनी-सिंगरौली लाइन पर एक स्टेशन) तक परियोजना लाइन, जिससे ब्यौहारी और रींवां का सिंगरौली और मिर्जापुर से सम्पर्क स्थापित हो जाता, का सर्वेक्षण 1973 में किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि इस लाइन पर इस के निर्माण के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त यातायात नहीं मिलेगा और यह लाइन अलाभप्रद रहेगी। अतएव इस परियोजना को आस्थगित रखने का विनिश्चिय किया गया। यहां तक कि सतना और रींवां के बीच प्रस्तावित रेल सम्पर्क, जिस के लिए 1973 की सर्वेक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हाल ही में पुनर्मूल्यांकन किया गया है कि तत्काल निर्माण का औचित्य सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त यातायात अर्जित करने की आशा नहीं है

(घ) देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में नयी लाइनों की भूमिका के बारे में रेल मंत्रालय को पूरी तरह जानकारी है लेकिन इस परियोजन के लिए धन की सीमित उपलब्धता के कारण असमर्थ है

रेलवे में कथित अवैध नियुक्तियां

357. **श्री युवराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान रेलवे में कर्मचारियों और अधिकारियों के पदों पर कुछ नियुक्तियां की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में कितनी नियुक्तियां की गइ ;

(ग) क्या ये सारी नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जानी हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रेणी III में 421 और श्रेणी IV में 783 ऐसी नियुक्तियां की की गयी थीं।

(ग) ये नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की गयी थीं।

(घ) और (ङ). इनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अब अपने पदों पर नहीं हैं। जहां तक नियुक्त किए गए उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, जो श्रेणी III में हैं वे केवल रेल सेवा आयोगों द्वारा उनकी नियुक्तियों को नियमित किए जाने पर ही अपने पद पर बने रहेंगे ; जो श्रेणी IV में हैं उन्हें एवजी/ नैमित्तिक श्रमिक माना जाएगा और उन्हें सामाहित करने के लिए अन्य लोगों के साथ साथ उनकी संवीक्षा की जाएगी।

Suggestions from Shri Jayaprakash Narayan regarding terms of Legislators/Ministers

358. SHRI D.G. GAWAI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he is aware that Shri Jayaprakash Narayan had in the recent past said that no one should be allowed to remain a member of a legislature or a Minister for more than two successive electoral terms;

(b) if so, whether Government have given thought to it; and

(c) if so, the decision taken or likely to be taken in this regard keeping in view the wishes of Shri Narayan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV): (a) Press reports regarding the suggestion of Shri Jayaprakash Narayan have come to the notice of the Government recently.

(b) and (c). The suggestion has not been considered by the Government so far.

Proposal to overhaul Company Law

359. SHRI D.G. GAWAI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under consideration of the Government to completely overhaul the Company Law;

(b) if so, the salient features of the proposals being considered in this regard; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard and when a comprehensive Bill in Parliament is likely to be introduced?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir. A High-Powered Expert Committee is presently reviewing the provisions of the Companies Act, 1956.

(b) The terms and conditions of the said Committee, as contained in paras 3 to 5 of the Government's Resolution No. 7-6-77-CL.V dated the 23rd June, 1977 is laid on the Table of the House. [*Place in library. See LT* 1038/77].

(c) The report of the Committee is likely to be available some time next year. Thereafter, Government will examine the recommendations and take appropriate action.

Prices of Essential Medicines

360. SHRI D.G. GAWAI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

The steps Government propose to take to bring down the prices of essential medicines and from when the steps are likely to be taken?